

ऐंगिंग

रैगिंग की रोकथाम

- पढ़े-लिखे समाज में कुप्रथा है।
- सभ्य समाज का अमानवीय कृत्य है।
- गैर-कानूनी होने से दण्डनीय अपराध है।
- रोकने की जवाबदेही शिक्षण संस्थानों की है।

हम नहीं करेंगे, हम नहीं देखेंगे।
जहाँ भी हो यह अपराध, हम अवश्य रोकेंगे ॥



रैगिंग की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश

शैक्षणिक संस्थाओं में अकादमिक गुणवत्ता में निरन्तरता एवं अभिवृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि अकादमिक संस्थाओं का वातावरण भय एवं तनाव मुक्त रहे। शैक्षणिक संस्था प्रमुख, कुलपति, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य परस्पर सहयोग और समन्वय से ही शैक्षणिक संस्थायें अपने—अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में अवांछनीय तत्वों द्वारा कभी—कभी रैगिंग द्वारा अनावश्यक व्यवधान निर्मित कर दिया जाता है। जिससे वातावरण प्रभावित होता है। रैगिंग के द्वारा कहीं भी अप्रिय स्थिति निर्मित न हो इसलिए पहले से ही रैगिंग जैसी अमानवीय प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय—समय पर जो आदेश एवं निर्देश दिए गये हैं, उनसे हम सभी को अवगत होना आवश्यक है।

शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने की दिशा में उठाये गये कदम

उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 23.10.1999 तथा 26 जून 2000 द्वारा रैगिंग को रोकने के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिए गये थे :—

1. छात्रावासों से अनाधिकृत छात्रों का निष्कासन।
2. लगातार दो वर्षों से अनुर्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रवेश निषेध।
3. शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही प्राचार्य, अभिभावक एवं शिक्षक समिति का गठन एवं उनके कार्यों का निरन्तर आकस्मिक निरीक्षण।
4. शिक्षण सत्र शुरू होने से पूर्व ही जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला पुलिस अधीक्षक से प्राचार्यों का तालमेल एवं मानीटरिंग।
5. शिथिलता बरतने वाले प्राचार्यों पर कार्यवाही।
6. ऐन्टी रैगिंग कमेटी का गठन एवं रैगिंग प्रकरणों की नियमित मानीटरिंग।
7. वार्डनों/छात्रावास अधीक्षकों की रैगिंग के संबंध में जिम्मेदारी

सुनिश्चित करना ।

8. रैगिंग प्रकरणों की निष्पक्ष जाँच हेतु स्वतंत्र लोगों की कमेटी का गठन ।
9. संस्था के परिसर में सहजगोचर स्थान पर शिकायत पेटी की व्यवस्था तथा प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा ।

रैगिंग दंडनीय अपराध सर्वोच्च न्यायालय के बंधनकारी निर्देश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका 656 / 1998 दिनांक 4 मई 2001, SLP No. : 24295 / 2006 दिनांक 16 मई 2007, सिविल अपील नं. 887 / 2009 दिनांक 8 मई 2009 का निराकरण करते हुये रैगिंग की रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी करते हुये शिक्षण संस्थाओं पर प्रमुख रूप से रैगिंग पर रोक लगाने की जवाबदारी निश्चित की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखने योग्य बातें निम्नानुसार हैं:-

1. रैगिंग रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं में मदद करने वालों को प्रोत्साहन तथा इसकी रोकथाम में मदद न करने वालों को हतोत्साहित करने के लिये शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवश्यक कदम उठाने होंगे।
2. शिक्षण संस्थाओं में संलग्न दोषी अधिकारी और व्यक्तियों को प्रचलित अपराध संबंधी कानूनों से संस्थाओं द्वारा बचाने का प्रयत्न नहीं किया जावेगा।
3. रैगिंग जैसी दुष्प्रवृत्ति को संस्था में कार्यरत व्यक्तियों, शिक्षा प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों तथा सम्पूर्ण समाज द्वारा मानवीय मूल्यों की अवमानना के रूप में देखा जाना चाहिए। पाठशाला के स्तर से ही विद्यार्थियों का इस तरह का मानस बनाने की आवश्यकता है।
4. ऐसे विद्यार्थी जो रैगिंग करने की मानसिकता वाले हैं, उनकी व्यवहार और स्वभाव के आधार पर पहचान की जावे।
5. रैगिंग रोकने लिए ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है, जिससे उसकी पुनरावृत्ति पर अंकुश लगे।



- रैगिंग रोकने के लिए पाठशाला से उच्च शिक्षण संस्था के स्तर तक सभी संबंधित व्यक्तियों, जिला स्तर के अधिकारियों, विश्वविद्यालयों, राज्य और केन्द्रीय शासन के सभी संबंधित अधिकारियों और समाज के विभिन्न वर्गों के सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है ताकि प्रभावी रूप से उस पर अंकुश लगे।
- रैगिंग पर अंकुश लगाने के लिए मीडिया और समाज की सहभागिता प्राप्त की जानी चाहिए।

रैगिंग रोकाने के लिये निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अविलम्ब पालन किया जावे

- रैगिंग के लिए दिया गया दंड एक सबक बने और वह इतना सख्त हो कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति करने के पहले विद्यार्थियों में भय पैदा हो।
- रैगिंग की प्रत्येक घटना जिसमें पीड़ित, उसके पालक या संस्था प्रमुख, संस्था में प्रचलित रैगिंग रोकने की व्यवस्था से संतुष्ट न हों, तो तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन में अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट देने का दायित्व शिक्षण संस्था पर रहेगा। संस्था द्वारा बिना चूक इसका पालन किया जाये। यदि संस्था द्वारा रैगिंग की घटना पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करने से चूक अथवा किसी तरह का विलम्ब या कोताही बरती जाती है, तो यह संस्था द्वारा की गई गम्भीर दंडनीय लापरवाही मानी जायेगी।
- यदि पीड़ित स्वयं, उसके माता-पिता या पालक पुलिस को रैगिंग संबंधी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो भी संस्था का रैगिंग की घटना पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, पुलिस में दर्ज कराने का उत्तरदायित्व बना रहेगा।
- न्यायालयों द्वारा यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि रैगिंग की घटनाओं संबंधी अपराधों को प्राथमिकता के तौर पर परीक्षण एवं निर्णय हेतु लें, ताकि समाज में यह संकेत जा सके कि रैगिंग न केवल निदंनीय कृत्य है, बल्कि न्यायालय उस संबंध में कठोर दृष्टिकोण अपनाकर सजा भी दे सकता है।

5. इसके अलावा रैगिंग की रोकथाम का विषय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु विचार करें। ऐसा ही विचार, राज्य आश्रित संस्थाएँ भी करें। रैगिंग के विरुद्ध शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानसिकता बनाने हेतु यह विषय 'मानव अधिकार' विषय में शामिल किया जा सकता है।
6. उन विद्यार्थियों के लिये, जिन्होंने रैगिंग का दुष्कृत्य या अपराध किया है, उन्हें शिक्षण संस्था से निष्कासित करने का प्रावधान बनाया जाये। इसका उल्लेख संस्था की विवरण पत्रिका में प्रमुखता से किया जाये।
7. केन्द्र एवं प्रांतीय सरकारें, रैगिंग पर अंकुश लगाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें और इस बात का प्रचार-प्रसार करें कि भविष्य में रैगिंग के अपराध में लिप्त पाये गये विद्यार्थियों को गम्भीर परिणाम भोगने पड़ेंगे।
8. रैगिंग रोकने के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व शिक्षण संस्थाओं के संचालकों और संबंधित अधिकारी-गणों का है। इसलिये उनके कार्यकलापों पर निगरानी रखी जाये। उन्हें इस बात के लिये प्रशिक्षण दिया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि उन्होंने रैगिंग पर अंकुश लगाने के लिए सकारात्मक कदम उठाये हैं। यदि इस संबंध में कोई शिक्षण संस्था विफल रही तो शिक्षण संस्था के विरुद्ध भी शासन कार्यवाही करे, जैसे उन्हें वित्तीय सहायता देना बंद किया जाना एवं संस्था के विरुद्ध अन्य विधि सम्मत असनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि।
9. प्रत्येक शिक्षण संस्था में रैगिंग के विरोध के लिए समितियाँ एवं एंटी रैगिंग उड़नदस्ता अविलम्ब स्थापित किया जावे। रैगिंग के विरोध हेतु बनी ऐसी समितियों और उड़नदस्तों का यह उत्तरदायित्व होगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये बंधनकारी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करायें। यदि समितियों एवं उड़नदस्तों को ऐसा आभास होता है कि उनके द्वारा की गई कार्यवाही, सुझावों या अनुशंसाओं की संस्था द्वारा उपेक्षा की जा रही है तो रैगिंग के विरोध हेतु बनी समिति एवं दस्ते को यह अधिकार होगा कि वे संस्था के



विरुद्ध न्यायालय से तत्संबंधी उचित आदेश एवं निर्देश प्राप्त करें।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति भी संस्था में संचालित रैगिंग विरोधी समितियों और उडनदस्तों के कार्यों पर नजर रखेगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का सभी संबंधित, संस्थागत् व्यक्तियों, विद्यार्थियों और पालकों द्वारा पालन किया जा रहा है।

विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बातें

1. छात्रों, पालकों तथा शिक्षकों को सावधान करना :-

रैगिंग से अनुशासनहीनता का वातावरण बनता है तथा रैगिंग की किसी भी कार्यवाही को बर्दाश्त नहीं किया जावेगा। प्रत्येक रेगिंग की घटना का पता लगाकर संबंधित को दण्डित किया जावेगा।

2. प्रवेश के समय से अभियान :-

ऐन्टी रैगिंग अभियान संस्था में प्रवेश की सूचना के विज्ञापन के साथ—साथ प्रारंभ होना चाहिए। संस्था के प्रास्पेक्टस, प्रवेश फार्म तथा अन्य किसी भी ब्रोसर, लिटरेचर आदि में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि रैगिंग प्रतिबंधित है तथा जो भी रैगिंग में शामिल पाया जावेगा उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। दण्डात्मक कार्यवाही में संस्था से निष्कासन, फाइन, सार्वजनिक क्षमा याचना, छात्रवृत्ति का रोका जाना, रिजल्ट का रोका जाना, छात्रावास से निष्कासन आदि शामिल है।

3. छात्रों तथा पालकों से वचनपत्र :-

प्रवेश के आवेदन पत्रों में इस आशय का वचन पत्र छपा होना चाहिए कि अभ्यर्थी इस तथ्य से वाकिफ है कि संस्था में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा उसमें शामिल पाए जाने पर वह दण्ड का भागी होगा। इसी तरह का वचनपत्र पालक से भी प्राप्त किया जाना चाहिए।

4. पूर्व प्रविष्ट छात्रों एवं पालकों से वचनपत्र :-

जिन छात्रों को बिना वचनपत्र के प्रवेश दिया जा चुका है उनसे तथा



उनके पालकों से भी कठिणका-3 में दर्शाये गये अनुसार वचनपत्र भराया जाना संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जावे।

5. नये प्रवेशियों को मार्ग दर्शन :-

नये प्रविष्ट छात्रों को विभिन्न समस्याओं में मार्गदर्शन, सहायता तथा जानकारी के लिए कब किससे सम्पर्क करना चाहिए इस आशय की जानकारी उन्हें लीफ लेट पर संस्था द्वारा मुद्रित कराकर दी जावे। लीफ लेट में ऐसे व्यक्ति का पूर्ण पता तथा टेलीफोन नम्बर भी अंकित होना चाहिए। इससे नव प्रवेशियों को किसी सहायता के लिए अपने सीनियर का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा।

6. नव प्रवेशियों को विश्वास में लेकर निर्भय करना :-

प्रबंधन, कुलपति तथा शैक्षणिक स्टॉफ, नव प्रवेशियों से घुल मिलकर उन्हें विश्वास में लेकर उनके अधिकारों तथा रैगिंग के विरुद्ध उनके कर्तव्यों की जानकारी देते हुए उनमें आत्मविश्वास पैदा करें। नव प्रवेशियों के साथ रैगिंग की कोई घटना होती है अथवा उनकी जानकारी में कोई घटना हुई है तो सूचित करने पर तत्काल कार्यवाही की जावेगी। शिकायतकर्ताओं/सूचनादाताओं को पूरा संरक्षण एवं सुरक्षा भी प्रदान की जावेगी। संस्था के प्रमुख को समय-समय पर शिक्षकों, पालकों तथा छात्रों को एक साथ अथवा भिन्न-समूहों में इस संबंध में सम्बोधित करना चाहिए।

7. प्राक्टोरियल कमेटी :-

प्रत्येक संस्था शिक्षण सत्र के प्रारंभ में ही एक प्राक्टोरियल कमेटी का गठन वरिष्ठ संकाय सदस्यों, हॉस्टल वार्डनों तथा जिम्मेदार वरिष्ठ छात्रों को मिलाकर करे जो निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें।

7.1 रैगिंग की कोई घटना न घटित हो इसके लिए लगातार ध्यान रखें और सतर्क रहें।

7.2 रैगिंग की कोई घटना घटित होने की जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही करें तथा दोषी व्यक्ति को संक्षिप्त: दण्डित करें अथवा दण्ड के लिए सक्षम अधिकारी को तत्काल अनुशंसा सहित भेजें।



8. संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी :-

जो स्थल रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील हैं अथवा जहां पहले घटनाएं घटित हो चुकी हैं वहां विशेष निगरानी रखी जावे।

9. कम्यूनिटी आवेयरनेस :-

पोस्टर, पैम्पलेट, नोटिस बोर्ड तथा साइन बोर्ड आदि के माध्यम से स्थानीय समुदाय विशेषतः छात्रों को रैगिंग के दुष्प्रभावों से सावधान किया जावे।

10. दायित्व का निर्धारण :-

रैगिंग को रोकने में असफलता के संबंध में यह उपधारणा की जावेगी कि संस्था के प्रबंधन, कुलपति तथा अन्य प्राधिकारियों ने अनुशासन बनाए रखने में लापरवाही की है। इसी प्रकार का उत्तरदायित्व हॉस्टल के वार्डन तथा अधीक्षक पर भी निर्धारित किया जावे।

11. छात्रावासों में नव प्रवेशियों की सुरक्षा व्यवस्था :-

नये छात्रों द्वारा आवासित छात्रावासों/अधिवासों की सावधानी पूर्वक सुरक्षा की जावे। जहाँ आवश्यकता हो सुरक्षा कर्मचारी पदरथ किए जावे। ऐसे हॉस्टलों को उन्हीं अधीक्षकों/वार्डनों के प्रभार में रखा जाये जो उसी परिसर में निवास करें। ऐसे परिसरों में बाहरी व्यक्तियों तथा वरिष्ठ छात्रों का प्रवेश रात्रि में नियत समय के बाद वार्डन की अनुमति के बिना वर्जित रहे। अन्य समयों में भी प्रवेश को विनियमित किया जावे।

12. सामूहिक दण्ड की व्यवस्था :-

रैगिंग की घटनाओं में यदि दोषी व्यक्ति का स्पष्ट पता नहीं चलता है तो सामूहिक दण्ड की व्यवस्था की जावे ताकि पोटेशियम रैगर्स पर दबाव बनाया जा सकें।

13. माइग्रेशन प्रमाण पत्रों में उल्लेख :-

माइग्रेशन प्रमाण पत्र में संस्था छोड़ने वाले छात्र के सामान्य आचरण एवं व्यवहार के अतिरिक्त इस बात का भी उल्लेख किया जावे कि क्या छात्र



ने कभी रैगिंग में भाग लिया है और विशेषतः क्या उसमें उसे दण्डित किया गया है।

14. मान्यता तथा अनुदान पर प्रतिबन्ध :-

यदि कोई संस्था रैगिंग रोकने में विफल रहती है तो राज्य शासन अथवा यू.जी.सी. से प्राप्त होने वाले अनुदान पर नियतकालीन प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय द्वारा एक नियम अवधि के लिए मान्यता प्रतिसंहृत करने पर विचार किया जा सकता है।

15. रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन :-

विश्वविद्यालय तथा संस्थाओं को शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व तथा समय—समय पर ऐसी रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जिसमें सीनियर तथा जूनियर, वर्तमान तथा नये छात्रों को एक दूसरे से स्वस्थ वातावरण में मेल—मिलाप का अवसर मिले। सीनियर तथा जूनियर विद्यार्थी सभी ऐसे आयोजनों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिये प्रोत्साहित हों ताकि वे ऊँच—नीच होने का भेद मिटा सकें।

16. संज्ञेय अपराधों की सूचना :-

यदि रैगिंग की घटनाएं वश से बाहर हो जाती हैं अथवा रैगिंग के दौरान कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो इसकी सूचना पुलिस में दी जानी चाहिए। किन्तु पुलिस का संस्था में प्रवेश संस्था प्रमुख अथवा वार्डन के चाहने पर ही होना चाहिए तथा पुलिस को ऐसी घटनाओं में कार्यवाही करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपराधियों से नहीं बल्कि छात्रों से व्यवहार कर रहे हैं।

सी—आई.आई.टी. दिल्ली द्वारा उठाये गये कदम की जानकारी

1. आई.आई.टी. दिल्ली ने अपनी संस्था में रैगिंग के लिए निम्न उपाए किए हैं—

- ए. कैम्पस रिकूटमेन्ट से वंचित करना।
- बी. विदेशों में अध्ययन हेतु अनुशंसा न करना।
- सी. ट्रांसफर सर्टिफिकेट में विपरीत टिप्पणी करना।



रैगिंग समाप्त करने के कुछ उपाय

1. विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र एवं अभिभावक से शपथ पत्र भरवाना ।
2. विश्वविद्यालय परिसर में छात्र/छात्रा व अभिभावक के अतिरिक्त गैर छात्रों के प्रवेश प्रतिबंधित करना ।
3. शिकायत पेटी द्वारा पीड़ित छात्रों से सूचना प्राप्त करना ।
4. प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय में हर समय पहचान पत्र स्थायी अभिलेख के रूप में रखने की अनिवार्यता ।
5. रैगिंग करने वाले दोषी छात्र को संस्था तथा छात्रावास से निष्कासित करना ।
6. रैगिंग के दोषी छात्रों को खेल स्पर्धा, युवा महोत्सव, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से वंचित करना ।
7. रैगिंग यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र की ली गई है तो अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत रैगिंग के दोषी छात्र के विरुद्ध सख्त दण्डानात्मक कार्यवाही करना ।
8. अभद्र कार्य, गाली देना, अभद्र संगीत धारा 294 भारतीय दण्ड संहिता साधारण चोटें पहुंचाना/मारपीट करना 323, 324, 325, 326, विधि विरुद्ध परिरोध 341, 342, 343, 344, 345, 346, अपमानित करने के उद्देश्य से हमला करना या अपराधिक बल का प्रयोग करना 355, 356, 357, 358, जान से मारने की धमकी देना 506, 506बी, महिला छात्राओं को अपमानित करने के लिये इशारा करना, अभद्र शब्दों से सम्बोधित करना 509, रैगिंग करने वाले दोषी छात्र को तीन वर्ष के सजा तथा रुपये 25,000 का जुर्माना न्यायालय से दिया जा सकता है, इसकी जानकारी देना ।
9. संस्था प्रमुख द्वारा समितियों का गठन कर निरंतर, अनुशासन का आकलन करते हुए सावधानियों लेना तथा रैगिंग होने ही न पावे इस हेतु सजग रहते हुए सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण करना ।

10. उपरोक्त क्रमांक 01 से 06 तक दण्ड संबंधित संस्था प्राधिकारी द्वारा दिये जा सकेंगे तथा क्रमांक 07 से 08 की सजा विधि न्यायालय द्वारा दी जा सकेगी।

विभागाध्यक्षों के दायित्व

1. रैगिंग रोकथाम संबंधी सूचना विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के निकट स्थायी बोर्ड पर रखना तथा शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना।
2. प्रत्येक रैगिंग की घटना की रिपोर्ट लेना तथा प्रत्येक रिपोर्ट पर न्यायसंगत कार्यवाही कर जीरो टालरेंस नीति का पालन करना, घटना स्थल पर पहुंच कर त्वारित कार्यवाही करना।
3. कुलपति / विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर अपराध के अनुरूप दण्ड सुनिश्चित कर सकेंगे।
4. प्रवेश के समय ही वरिष्ठ एवं कनिष्ठ छात्र/छात्राओं का परिचय तथा स्वागत का आयोजन कर रैगिंग के संबंध में सूचित करना/तथा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ छात्र/छात्राओं के बीच आपसी सामंजस्य बनाना।
5. जाँच के साथ ही रैगिंग दोषी छात्र के लिये अपराध के अनुरूप दण्ड सुनिश्चित करना।
6. आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन, पुलिस को सूचित करने की कार्यवाही करना।
7. नवागत एवं वरिष्ठ छात्र/छात्राओं के अभिभावकों को समय—समय पर सूचित करना।
8. प्रवेश के समय फार्म के साथ अभिभावक का एक वचन पत्र भरवाना।

• • •

